APP
Crll

34 ई 2000-10 लाख प्र.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बांदीकुई

मुकाम

कलैक्टर

बनाम ...... गोकुल वगैरा

सन ......

रामचन्द

..... श्री कि... ...जनाम 73/2021
R.T.A.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कोलोकपुर शिविर भू० अ० निरीक्षक हल्का बसवा पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण ने स्वयं की खातेदारी भूमि ख-नं. 532, 472 ग्राम- पंडितपुरा में आने-जाने का रास्ता भूमि ख-नं. 470, 471 में होकर है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। जो रिकार्ड में धारा- 251 'A' R-T-A. के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया जाये।	
प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अनुसार खाता से नया- 532 पुराना- 94 ख-नं. 472 रकबा 0.60 हे० ग्राम पंडितपुरा प्रार्थीगण कब्जे काश्त खातेदार हैं। जमाबंदी संवत- 2074-77 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने वर्णित भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता० 4 से जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गयी है। जिस विक्रयपत्र में प्रार्थी की भूमि ख. नं. 472 में आने हेतु रास्ता ख-नं. 470 में से होकर आगे 20 फीट तथा पीछे 23 फीट रास्ता जारी रहेगा। दर्शित किया गया है।	
प्रार्थीगण को उपरोक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर नहीं है। उपरोक्त रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 470, 471 में से प्रार्थीगण भूमि ख-नं. 472 में आने जाने के लिये आगे से 20 फीट पीछे 23 फीट मुताबिक विक्रय पत्र दि० 2-7-21 जो नजरी नक्शा ब रंग सुर्ख ABCD से	

खण्ड अधिकारी
बांदीकुई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दर्शित है मे रास्ता देने के आदेश फरमावें। प्रार्थी प्रा०पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। तथा इसी दौरान शिविर आयोजन प्रशासन गाँवों के संग फॉलोअप किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा फॉलोअप के निवेदन पर प्रकरण प्रार्थीगण शिविर भू० अ० निरीक्षक वृत्त बसवा में रखा गया। पटवारी हल्का पाण्डितपुरा, भू०अ०निरीक्षक बसवा एवं तहसीलदार बसवा द्वारा प्रकरण में मौका पर्चा रिकार्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके अनुसार विचाराधीन रास्ते से संबंधित भूमि के खातेदारों को मौके पर बुलाया जाकर मौका रिपोर्ट बनायी गयी। मौके के अनुसार आराजी ख-नं. 470, 471 में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ख-नं. 472 में रास्ता जा रहा है जो मौके पर चालू है सी.सी. रोड बना हुआ है तथा पंडितपुरा से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने वाली डामर सड़क से जुड़ा हुआ है जो ख-नं. 470 में 20 फीट (0.04 हे०) 471 में 23 फीट (0.04 हे०) मौके पर रास्ता बना हुआ है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है संलग्न नक्शा रास्ता लाल स्याही से दर्शित कर प्रस्तावित है। हमने शिविर मजमे-आम में प्रार्थीगण को सुना एवं उपस्थित आम-जन एवं जनप्रतिनिधि तथा पटवारी हल्का पाण्डितपुरा, I.L.R. बसवा, राजस्व अधिकारी भू-अभिलेख तहसीलदार बसवा से जानकारी की गयी। सभी ने भूमि ख-नं. 470, 471 में से होकर 20 फीट एवं 23 फीट रास्ता प्रार्थीगण खातेदार भूमि ख-नं. 472 में होना प्रकट किया।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा मौके पर सी सी रोड बना होकर चालू होना बताया। उपरोक्त तथ्य मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी, I.L.R., तहसीलदार बसवा दि० 1-12-2021 एवं प्रार्थीगन प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। इस तरह प्रार्थीगन प्रा० पत्र अ० धारा-251 'A' R.T. Act स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: आदेश है कि प्रार्थीगन प्रा० पत्र अ० धारा 251 'A' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगन स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ख० नं० 470 रकबा 0.04 हैक्ट०, ख० नं० 471 रकबा 0.04 हैक्ट० में मौके पर सी सी रोड बनकर रास्ता चालू है। संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रदर्शित को सार्वजनिक उपयोग हेतु गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। तहसीलदार बसवा नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद करें। तथा रास्ते हेतु अवाप्त भूमि 0.08 हैक्ट की क्षतिपूर्ति राशि प्रचलित डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि संबंधित खातेदार / अप्रार्थीगन को भुगतान जरिये चैक / खाता में प्रार्थीगन से प्राप्त कर करना सुनिश्चित करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पालना हेतु तहसीलदार बसवा को तहरीर जारी हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	